प्रेस नोट　　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　　दिनांक 05.06.2025

यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने एवं सड़क सुरक्षा के अंतर्गत विशेष अभियान

पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद महोदय के दिशा-निर्देशों के क्रम में दिनांक 08-05-2025 से अपर पुलिस उपायुक्त-यातायात के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने के उद्देश्य से,यातायात पुलिस पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बिना हेलमेट वाहन चलाने, विपरीत दिशा में वाहन चलाने, शराब या अन्य मादक पदार्थों के सेवन कर वाहन चलाने वाले, ऑटो/ई-रिक्शा में क्षमता से अधिक सवारी (ओवरलोड), बिना सीट बेल्ट एवं दो पहिया वाहन पर तीन सवारी के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

इस अभियान के अंतर्गत यातायात पुलिस की टीमों द्वारा प्रमुख चौराहों/ तिराहों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान प्रभावी कार्यवाही करते हुए दिनांक 08-05-2025 से दिनांक 04-06-2025 तक :-

- बिना हेलमेट चलने वाले 23,941 वाहन चालकों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की गई।
- विपरीत दिशा में वाहन चलाने वाले 4,759 चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।
- नशे की हालत में वाहन चलाते पाए गए 236 चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की गई।
- ऑटो/ई-रिक्शा में क्षमता से अधिक सवारी (ओवरलोड) के कुल 4,738 चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।
- बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वाले कुल 954 चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।
- दो पहिया वाहन पर तीन सवारी बिठाकर चलने वाले कुल 2,719 चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

यातायात पुलिस आमजनों/वाहन चालकों से अपील करती है, कि सदैव यातायात नियमों का पालन करें, चालक व पीछे बैठी सवारी हेलमेट का उपयोग करें, निर्धारित दिशा में ही वाहन चलाएं, नशे की स्थिति में वाहन न चलाएं, ऑटो/ई-रिक्शा में क्षमता से अधिक सवारी (ओवरलोड) न बैठाएं, बिना सीट बेल्ट के चार पहिया वाहन को न चलाएं तथा दो पहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाकर चलाएं। यह स्वयं की सुरक्षा के साथ साथ दूसरे के जीवन सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है।

यह अभियान आगामी दिनों में भी निरंतर जारी रहेगा, तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

इसके अतिरिक्त यातायात पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारकों यथा- दुकानदार, ठेली, खोखा आदि के स्वामियों/संचालकों के विरुद्ध शहर/देहात क्षेत्र में प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल 422 दुकानदार, ठेली, खोखा आदि के स्वामियों/संचालकों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 152 के अंतर्गत नोटिस जारी करते हुए उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट सम्बंधित सहायक पुलिस आयुक्त, के न्यायालय में प्रेषित की गयी। यह अभियान भी आगामी दिनों में निरंतर रूप से जारी रहेगा।

किसी भी प्रकार की यातायात सम्बन्धी समस्या/सुझाव हेतु यातायात पुलिस के कण्ट्रोल रूम नंबर 9643322904 पर संपर्क करें।

सड़क सुरक्षा - जीवन रक्षा

स्टंट करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही

दिनांक 01-06-2025 को यातायात पुलिस के X हेंडल पर 01 शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें 03 कार चालकों के द्वारा वाहनों को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर संचालित करने के दौरान पीछे बैठे अन्य युवक वाहनों की छत/खिड़कियों से बाहर निकलकर स्टंट करते हुए प्रदर्शित हो रहे हैं, जो अपने जीवन के साथ साथ दूसरे लोगों के जीवन को भी खतरे में डाल रहे हैं। उक्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए वीडियो में उपलब्ध वाहन नंबरो की पहचान कर तीनो वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के अंतर्गत निरुद्ध (सीज) किया गया है।

यातायात पुलिस सभी आमजनों/वाहन चालकों से अनुरोध करती है, कि सदैव यातायात नियमों का पालन करें एवं दो पहिया/चार पहिया या अन्य वाहनों से कदापि स्टंट न करें, अन्यथा की स्थिति में यातायात पुलिस द्वारा कठोर कार्यवाही की जाएगी।

इस प्रकार के किसी भी उल्लंघन की सूचना वीडियो के साथ यातायात पुलिस कण्ट्रोल रूम नंबर 9643322904 पर भेज सकते हैं।

सड़क सुरक्षा - जीवन रक्षा

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा जेल में निरूद्ध अपराधियों की फर्जी तरीके से जमानत कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 07 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से फर्जी कागजात बरामद

दिनाँक-05/06/2025 को क्राइमब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना-कविनगर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में आर0डी0सी0 गाजियाबाद से विभिन्न अपराधों मे जेल मे निरूद्ध अपराधियों की फर्जी कागजात तैयार करके जमानत कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 07 सदस्यों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है, अभियुक्तगणों द्वारा उद्धरण खतौनी के आधार पर उस नाम पते के आधार कार्ड बनाकर फर्जी कागजात व फर्जी जमानतियों के आधार पर जेल मे निरूद्ध अपराधियों की जमानत करायी जाती है, गिरफ्तार अभियुक्तों से काफी मात्रा में खतौनी, बेल बॉण्ड, रसीदी टिकट, विभिन्न थानों की मोहरें, विभिन्न नाम पतो के फर्जी आधार कार्ड आदि बरामद हुए है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर **अभियुक्त अनोज यादव** ने बताया कि 8वीं कक्षा तक पढा है तथा कैमिको प्रोसेस कम्पनी नोएडा में डिजाईनर सुपरवाईजर का काम करता था परन्तु कोरोना में नौकरी छूट गयी थी बाद में पैन्थर सिक्योरिटी में भी काम किया परन्तु सैलरी नही मिलने के कारण 06 माह में नौकरी छोड दी थी तभी बबलू नामक व्यक्ति जो मोदीनगर का रहने वाला था वह इसको कचहरी लाया जो वकीलों के यहाँ फाईल लाने ले जाने का काम कराने लगा जिसमें करीब 100 रू0 रोज मिलते थे इसी बीच इसकी

मुलाकात कुछ ऐसे लोगो से हुई जिनकों जमानती नही मिल रहे थे तो अनोज उपरोक्त ने उन्हें ऐसे जमानतियों को उपलब्ध कराया जो फर्जी नाम पते पर किसी भी जमानत लेने को तैयार थे, धीरे-धीरे इन लोगो ने फर्जी जमानत लेने वालों का गिरोह बना लिया फर्जी कागजात विकास उर्फ सम्राट से बनवाते है। **अभियुक्त इसरार** ने पूछने पर बताया कि वह अनपढ है तथा कचहरी में उसे मसूरी का रहने वाला मुर्सलीन लेकर आया था जिसने उसे फर्जी जमानती लाने के लिए कहा था, एक जमानती को 500 से 700 रूपये देता था इसी बीच इसकी मुलाकात राशिद काला, बबलू, इकराम, चंचल, भूषण, अनोज आदि से हुई और धीरे-धीरे इन लोगो ने फर्जी नाम पते पर जमानत लेने वालों का गिरोह बना लिया। **अभियुक्त बबलू** ने पूछताछ पर बताया कि वह 10वीं फेल है वह पिछले करीब 10 सालों से कचहरी जाता है जहाँ पहले वकीलों के यहाँ फाईल व अन्य कागजात लाने ले जाने का काम करता था इसी बीच इससे कुछ लोगो ने जमानत लेने या जमानतियों का इन्तजाम करने के लिए कहा जिसमें इसको पैसे भी मिल रहे थे तो यह तैयार हो गया, यह अपने गिरोह के साथ पिछले 06 वर्षो से फर्जी नाम पते पर जमानत लेने का काम कर रहा है। **अभियुक्त लोकेन्द्र** ने पूछने पर बताया कि वह अनपढ है और पिछले 8-9 वर्षों से फर्जी जमानत ले रहा है पहले ये शेखर, कमल, दयानन्द, देवेन्द्र राजपूत व राजू के साथ फर्जी जमानत लेता था जिसमें 2018 में थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर से 02 बार जेल जा चुका है तथा गैगस्टर एक्ट मे भी निरूद्ध रहा है जेल से छूटने के बाद इसने उनका साथ छोड दिया और अनोज यादव, इसरार व बबलू के सम्पर्क मे आकर इनके गिरोह मे शामिल हो गया व फर्जी कागजात पर जमानत लेने काम करने लगा। **अभियुक्त राहुल शर्मा** ने पूछने पर बताया कि वह 10वीं पास है पहली बार वर्ष 2017 मे झगडे मे जेल गया था उसके बाद कई बार अन्य अपराधों मे जेल जा चुका है कचहरी मे तारीखों पर आने-जाने के दौरान इसकी मुलाकात बबलू से हुई, बबलू ने इसको फर्जी जमानत लेने के बारे मे बताया तथा यह भी बताया कि इसमें काफी फायदा है चूँकि फर्जी नाम पते से जमानत लेनी है तो कभी पकडे जाने का भी डर नही है तभी से राहुल शर्मा इस गिरोह मे शामिल होकर फर्जी जमानत लेने का काम करने लगा। **अभियुक्त सुनील** ने पूछने पर बताया कि वह 5वीं तक पढा है पहले वह मजदूरी का काम करता था, करीब 3-4 वर्षों पहले नासिरपुर फाटक पर मजदूरी के लिए खडा था तभी अनीस नाम का व्यक्ति आया और इससे जमानत के लिए कहा, जमानत लेने के लिए सुनील को 300 रू मिले थे, तभी से सुनील फर्जी जमानत लेने लगा, अनीस की मृत्यु हो गयी तो सुनील बबलू, अनोज यादव व इसरार के गिरोह मे शामिल हो गया और फर्जी नाम पते पर जमानत लेने लगा। **अभियुक्त विकास राजपूत उर्फ सम्राट** ने पूछने पर बता कि वह एल0एल0बी0 कर रहा है, बारहवीं पास करने के बाद वह कचहरी मे आर0डी0सी0 के गेट के पास दीपक नाम के व्यक्ति के साथ बैठने लगा जो फोटो बनाना, फोटो कॉपी करना, फर्जी आधार कार्ड बनाने व फर्जी रूप से उद्धरण खतौनी निकालते थे तथा बबलू, इसरार, अनोज यादव, चंचल, भूषण, राकेश, नितिन त्यागी, लोकेन्द्र, सुनील, राहुल शर्मा, इकराम, राशिद आदि लोग ये सारे फर्जी कागजात ले जाकर जमानत लेते थे। करीब डेढ वर्ष पूर्व दीपक की मृत्यु हो गयी क्योकि मैने यह सारा काम सीख लिया था तो दीपक के बाद यह सारा काम वह करने लगा।

अभियुक्तगणों ने पूछताछ पर बताया कि इन लोगो का एक संगठित गिरोह है जिसमें इनके अलाला इनके अन्य साथी राजकुमार, वीरू, मुर्सलीन, इरफान, इकराम,चंचल पत्नी रिजवान, भूषण, राकेश, विपिन त्यागी, महीपाल, राशिद उर्फ काला, सोनिया आदि है, ये सभी लोग कचहरी मे रहकर विभिन्न अपराधों मे जेल मे निरूद्ध ऐसे अभियुक्तों की फर्जी रूप से जमानत कराते है जिनको या तो जमानती नही मिलते या वो जमानत लेकर फरार होना चाहते है। सबसे पहले जब इनसे कोई फर्जी जमानत के लिए सम्पर्क करता है तो ये लोग उससे अलग-अलग बेल बॉण्ड के अनुसार पैसे तय करते है 20 से 30 हजार की जमानत पर 5 से 7 हजार रू0 तथा 40 से 50 हजार रू0 की जमानत पर 7 से 10 हजार रूपये तय करते है। सबसे पहले ये लोग पैसे तय होने के बाद विकास उर्फ सम्राट से भू-लेख यू0पी0 वेबसाईट से उद्धरण खतौनी ऑनलाईन निकाल लेते है फिर उस नाम पते से अपना फोटो लगाकर फर्जी आधार कार्ड बनवाते है, उद्धरण खतौनी पर सी.एस.सी जन सेवा केन्द्र की मोहर लगाकर प्रमाणित कर लेते है उसके बाद जिस थाने से जमानतियों का सत्यापन होना होता है उसको थाने ना भिजवाकर स्वंय ही सत्यापित कर थाने की मोहर लगाकर माननीय न्यायालय मे जमा करा देते है और इस प्रकार जेल मे निरूद्ध अभियुक्त की फर्जी जमानत हो जाती है। इस गिरोह द्वारा अब तक करीब 600 से 700 अभियुक्तो की फर्जी जमानतें ली जा चुकी है।

अभियुक्तगणों से मिली जानकारी के आधार पर अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु टीमें बनाकर कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.अनोज यादव पुत्र स्वमुल्तान नगर मन्दिर वाली गली बागपत 293-ज्ञानेन्द्र सिंह यादव निवासी म0न0 0 रोड मेरठ उम्र करीब वर्ष 57

2.इसरार पुत्र इशाक निवासी डासना मौहल्ला बाजिगरान थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब वर्ष 52

3.बबलू पुत्र राजवीर निवासी मनीष वशिष्ठ का मकान गली नभूपेन्द्रपुरी कृष्णा पब्लिक स्कूल के पास मोदीनगर उम्र 03-0 करीब 41 वर्ष

4.लोकेन्द्र पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम फफराना थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब वर्ष 50

5.राहुल शर्मा पुत्र मँगू शर्मा निवासी ए 177-सुभाषनगर घूकना थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब वर्ष 30

6.सुनील कुमार पुत्र देवदत्त प्रकाश निवासी किराये का मकान कृष्ण जाट ब्रहमपुरी पानी की टंकी के पास मोदीनगर मूल पता ग्राम बिजवाडा थाना कोतवाली बागपत उम्र करीब वर्ष 52

7.विकास राजपूत पुत्र सोबरन लाल निवासी मुलह पुरवा जिला लखीमपुर खीरी हाल पता 5/81-राजनगर गाजियाबाद उम्र करीब 21-वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1.फर्जी आधार कार्ड, उद्धरण खतौनी व अन्य फर्जी कागजात बनाने मे प्रयुक्त लैपटॉप- 01 अदद

2.फर्जी आधार कार्ड- 21 अदद

3.फर्जी उद्धरण खतौनी- 18 अदद

4.बेल बॉण्ड बिना भरे- 05 अदद

5.रसीदी टिकट- 05 अदद

6.विभिन्न थानों व अन्य फर्जी मोहरें – 10 अदद

7.स्टाम्प इंक पैड- 01 अदद

आपराधिक इतिहासः-

1.अभियुक्त अनोज यादव के विरूद्ध गाजियाबाद मे 01 अभियोग पंजीकृत है।

2.अभियुक्त इसरार के विरूद्ध गाजियाबाद मे 01 अभियोग पंजीकृत है।

3.अभियुक्त बबलू के विरूद्ध गाजियाबाद मे 01 अभियोग पंजीकृत है।

4.अभियुक्त लोकेन्द्र के विरूद्ध गौतमबुद्धनगर मे 03 व गाजियाबाद मे 01 कुल 04 अभियोग पंजीकृत है।

5.अभियुक्त राहुल शर्मा के विरूद्ध गाजियाबाद मे कुल 08 अभियोग पंजीकृत है।

6.अभियुक्त सुनील कुमार के विरूद्ध गाजियाबाद मे 01 अभियोग पंजीकृत है।

7.अभियुक्त विकास उर्फ सम्राट के विरूद्ध गाजियाबाद मे 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-

1.स्वाट टीम, क्राइम ब्रान्च पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद

2.थाना कविनगर पुलिस टीम

ट्रांस हिण्डन जोन, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के सभी थानों व सर्विलांस/स्वॉट टीम द्वारा भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 209 मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रूपये) बरामद कर मोबाइल फोन स्वामियों को लौटाये गये ।

सी0ई0आई0आर0 (सेन्ट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर) पोर्टल पर ट्रांस हिण्डन जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर मोबाइल फोन चोरी, स्नैचिंग/लूट व मोबाइल फोन खोने आदि की प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए ट्रांस हिण्डन जोन पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस एवं मैनुअल इनपुट की सहायता से सर्विलांस टीम द्वारा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिये तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण कर भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 209 मोबाइल फोन जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रूपये की बरामदगी की गई है। चोरी, स्नेचिंग/लूट व खोये हुए मोबाइल फोन को देश के विभिन्न राज्यो (हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, झारखण्ड, दिल्ली एनसीआर आदि) में से बरामद किया गया है। बरामद मोबाइल फोन को उनके स्वामियों की पहचान कर प्रदान किये गये हैं।

थानावार मोबाइल फोन बरामदगी का विवरण:-

1. **थाना इन्दिरापुरम – 53**
2. **थाना कौशाम्बी – 22**
3. **थाना खोड़ा – 39**
4. **थाना साहिबाबाद – 29**
5. **थाना लिंकरोड – 25**
6. **थाना शालीमार गार्डन – 13**
7. **थाना टीलामोड़ – 28**

कुल योग(बरामद मोबाइल फोन) –

- **चोरी किये हुए मोबाइल फोन- 06**
- **गुमशुदगी के मोबाइल फोन- 201**
- **स्नेचिंग/लूट किये हुए मोबाइल फोन- 02**

कुल बरामद मोबाइल फोन-

209 मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रूपये) बरामद।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 05.06.2025 को थाना लिंकरोड़ पर वादी श्री सुखदेव विश्वकर्मा पुत्र रामअवध निवासी म0न0 559 कड़कड़ मॉडल थाना लिंकरोड गाजियाबाद की लिखित तहरीर दी और बताया कि मेरी मोटरसाइकिल घर के बाहर से किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई है। जिसके सम्बन्ध में थाना लिंकरोड़ पर धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्तक्रम में थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 02 अभियुक्त 1. पवन पुत्र राजेश हालपता ग्राम कड़कड़ मॉडल रामू के मकान में विद्यालय मंदिर स्कूल के पास थाना लिंकरोड गाजियाबाद मूल पता गांव रस्कोल थाना बैंक रोड जनपद मोतिहारी (बिहार) उम्र करीब 19 वर्ष व 2. मोनू पुत्र राकेश निवासी गांव कड़कड मॉडल गोलका चौक थाना लिंक रोड़ गाजियबाद उम्र करीब 25 वर्ष को राधा कुंज रेलवे मैदान से चोरी की 01 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछाताछ का विवरण:- गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि बरामद मोटरसाइकिल को दोनों ने मिलकर दिनांक 02/03.06.2025 की रात्रि को कड़कड़ मॉडल से चोरी किया था। आज दोनों अभियुक्त चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. पवन पुत्र राजेश हालपता ग्राम कड़कड़ मॉडल रामू के मकान में विद्यालय मंदिर स्कूल के पास थाना लिंकरोड गाजियाबाद मूल पता गांव रस्कोल थाना बैंक रोड जनपद मोतिहारी (बिहार) उम्र करीब 19 वर्ष।
2. मोनू पुत्र राकेश निवासी गांव कड़कड मॉडल गोलका चौक थाना लिंक रोड़ गाजियबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना लिंकरोड़ पर चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम:-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।